FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

20-12-24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी हल्का सिमारला जागीर

किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र प्रचलित रास्ता अधा 131, 132 एल.आर.एक्ट मुकदमा नम्बर 137/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20.12.2024	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2853/भू.अ./2024 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 817 रकबा 4.38 हैक्टर में से 0.0160 हैक्टर, 794 रकबा 0.77 है0 मे से 0.0330 है0, 800 रकबा 0.08 है0 में से सम्पूर्ण, 793 रकबा 0.79 है0 में से 0.0280 है0, 795 रकबा 0.22 है0 में से 0.0176 है0, 754 रकबा 2.13 है0 में से 0.02 है0, 791 रकबा 0.03 है0 में से 0.01 है0, 801 रकबा 0.07 है0 में सम्पूर्ण, 804 रकबा 1.23 है0 में से 0.0032 है0, 803 रकबा 2.37 है0 में से 0.02 है0, 762 रकबा 1.04 है0 में से 0.0280 है0, 807 रकबा 0.11 है0 में से 0.0040 हैक्टर में से जा रहे कोलवा बालाजी से खेजरोली सीमा को जोड़ने वाली सडक के प्राचीन रास्ते तक जाने वाले प्रचलित रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। जिसे तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होने तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन में रास्ता चालू होकर उपयोग में आने से तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अनुशंषा के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत [illegible] अतः प्रार्थी [illegible] में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] आदेश दिया जाता है कि वे न्यायालय निर्णय अनुसार राजस्व रिक[illegible] में अमल दरामद करे। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	4611/रीडर 31-12-24

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी:— अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:137 / 2024 निर्णय दिनांक: 20.12.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम— 1956

आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र कमांक 2853/भू.अ./2024 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, प्रचलित रास्ते की फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर सहमति बतौर संबंधित कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है तथा अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया हैं। श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—6) जयपुर राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांक प.3 (2) राज—6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्तावें व संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम कोलवा पटवार हल्का सिमारला जागीर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 817 रकबा 4.38 हैक्टर में से 0.0160 हैक्टर, 794 रकबा 0.77 है0 में से 0.0330 है0, 800 रकबा 0.08 है0 में से सम्पूर्ण, 793 रकबा 0.79 है0 में से 0.0280 है0, 795 रकबा 0.22 है0 में से 0.0176 है0, 754 रकबा 2.13 है0 में से 0.02 है0, 791 रकबा 0.03 है0 में से 0.01 है0, 801 रकबा 0.07 है0 में सम्पूर्ण, 804 रकबा 1.23 है0 में से 0.0032 है0, 803 रकबा 2.37 है0 में से 0.02 है0, 762 रकबा 1.04 है0 में से 0.0280 है0, 807 रकबा 0.11 है0 में से 0.0040 हैक्टर में से जा रहे कोलवा बालाजी से खेजरोली सीमा को जोड़ने वाली सड़क के प्राचीन रास्ते तक जाने वाले प्रचलित रास्ते के मौके पर कदीमी रूप से चालू होने, प्रस्तावित रास्ते के मौके पर कच्चा होकर तथा रास्ते के सार्वजनिक आवागमन के उपयोग में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी अभिशंषा रिपोर्ट भी पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा भिजवाए गए प्रस्ताव में अंकित खसरा नम्बरान में से रास्ते के काम आ रहे निम्नानुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.स.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रकबा रास्ते में आ रहा
1	सिमारला जागीर	कोलवा	817	4.38	0.0160
2	सिमारला जागीर	कोलवा	794	0.77	0.0330
3	सिमारला जागीर	कोलवा	800	0.08	0.0800
4	सिमारला जागीर	कोलवा	793	0.79	0.0280
5	सिमारला जागीर	कोलवा	795	0.22	0.0176
6	सिमारला जागीर	कोलवा	754	2.13	0.0200
7	सिमारला जागीर	कोलवा	791	0.03	0.0100
8	सिमारला जागीर	कोलवा	801	0.07	0.0700
9	सिमारला जागीर	कोलवा	804	1.23	0.0032
10	सिमारला जागीर	कोलवा	803	2.37	0.0200
11	सिमारला जागीर	कोलवा	762	1.04	0.0280
12	सिमारला जागीर	कोलवा	807	0.11	0.0040

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को उक्त मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमियों में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:42:32 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)